"सुदृढ़ प्रजातंत्र हेतु वृहत्तर सहभागिता"

Mob.No. – 7250826612
Tel. No. (Election Office) – 06562-231046
E-mail ID –plamau.election55@gmail.com

कार्यालय ; जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– उपायुक्त, पलामू

रद्दी कागज बिक्री हेतु अल्पकालिन निविदा

जिला निर्वाचन कार्यालय, पलामू में लोकसभा आम चुनाव 2014, विधानसभा चुनाव 2014 के प्रपत्रों/ मतदाता सूची की अतिरिक्त प्रतियों एवं अन्य कागजात जो रद्दी कागज के श्रेणी में आ गये है की बिक्री हेतु दिनांक 14.3.19 के अपराहन् 3.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा उक्त तिथि को ही अपराहन् 04.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में निविदा समिति के समक्ष खोली जायगी।

निविदा की शर्तें –

1. निविदादाता फर्म का कागज फैक्ट्री से सम्बद्धता एवं निबंधन सम्बन्धी प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. अद्यतन आयकर (T.D.S.) एवं रिर्टन की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. बिक्री कर अनापत्ति प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।
4. रद्दी कागज को थ्रेडिंग मशीन से टुकड़े–टुकड़े निविदादाता द्वारा किया जायगा।
5. रद्दी कागज के वजन के लिए काँटा की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करनी होगी।
6. निविदा के लिए जमानत राशि के रूप में 25,000/–; (पच्चीस हजार) रू0 का बैंक ड्रॉफ्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– उपायुक्त, पलामू के पदनाम से संलग्न करना होगा।
7. रद्दी कागज के उठाव के पश्चात कागज मिल में हस्तगत कराने का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित कागज मिल से प्राप्त कर उपलब्ध कराने के पश्चात जमानत राशि वापस की जायगी।
8. रद्दी कागज का दर प्रति किलो निविदा में अंकित किया जायगा।
9. निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
10. निविदा स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
11. निविदादाता फर्म को पूर्व में निर्वाचन सम्बन्धी/रद्दी कागजात क्रय करने का अनुभव होना चाहिए। निविदा के साथ रद्दी कागज क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न करेंगे।
12. निविदा खोलते समय निविदादाता उपस्थित रहेंगे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह– उपायुक्त, पलामू।

ज्ञापांक 30/निर्वा0 दिनांक 03/03/19

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि निविदा का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, पलामू/अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर/छतरपुर एवं हुसैनाबाद को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त निविदा का प्रकाशन अपने सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी –सह– संयुक्त सचिव, मंत्रिमण्डल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि इसे पलामू जिला के वेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

3.3.19

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह– उपायुक्त, पलामू।

Anjali 5/3/2019

"मत डालना आपका अधिकार है – मतदाता बनें"